छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

//अधिसूचना//

नया रायपुर, दिनांक 17.1.18.........

क्रमांक एफ 3–1/2017/16 :– राज्य शासन एतद्द्वारा असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, असंगठित कर्मकारों के लिये निम्नानुसार योजना बनाता है :–

पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रम अन्न सहायता योजना :–

(अ) योजना का प्रावधान :–

1. योजना का नाम **''पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रम अन्न सहायता योजना''** होगा।
2. इस योजना के अंतर्गत चावड़ी में यूनिट के पास एकत्रित होने वाले असंगठित कर्मकारों को गरम भोजन प्रदाय किया जावेगा।
3. **गरम भोजन से तात्पर्य**:–

   (क) पका हुआ चावल, दाल, सब्जी अथवा खिचड़ी, फ्राई दाल, सब्जी अथवा जीरा चावल, फ्राई दाल, सब्जी।

   (ख) भोजन के साथ आचार भी देय होगा।
4. योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होंगे।

(ब) योजना का विस्तार :–

संचालक मंडल द्वारा छत्तीसगढ़ प्रदेश के विभिन्न जिलों में समय–समय पर चिन्हांकित स्थानों पर योजना का विस्तार किया जावेगा।

(स) योजना की प्रक्रिया :–

1. **(क)** **''पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रम अन्न सहायता योजना''** के यूनिट संचालन हेतु श्रम विभाग द्वारा भोजन बनाने एवं वितरण अथवा यूनिट संचालन के कार्य का टेण्डर एक साथ किया जावेगा।

   (ख) प्रत्येक यूनिट हेतु निःशुल्क स्थल एवं शेड श्रम विभाग द्वारा उपलब्ध करवाया जावेगा।

   (ग) बिजली, पानी जैसे नियमित होने वाले व्यय टेंडर प्राप्त करने वाले संबंधित संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

(घ) टेंडर में उल्लेखित शर्तों का पालन करना टेंडर प्राप्त करने वाले संस्थान के लिए बाध्यकारी होगा।

2. कर्मकारों को यूनिट में ही भोजन खिलाया जावेगा, यदि कोई कर्मकार चाहे तो अपने टिफिन में भोजन लेकर जा सकता है।

(द) पात्रता :-

1. (क) श्रम विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल में पंजीकृत कर्मकारों को लाभ की पात्रता होगी।

(ख) यदि कोई असंगठित कर्मकार है, किंतु उसका पंजीयन नहीं हुआ है, तो वह भी पात्र होगा परंतु उसे मंडल में पंजीयन कराना आवश्यक होगा।

(ई) व्यय :-

योजना से संबंधित यूनिट में यदि असंगठित कर्मकार के अलावा निर्माण श्रमिक एवं संगठित श्रमिक भोजन ग्रहण करते है, तो उनका भुगतान संबंधित मंडल द्वारा देय होगा। असंगठित श्रमिकों के लिए भुगतान छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा किया जावेगा।

(फ) शुल्क :-

1. इस योजना के अंतर्गत रूपये 5/- के कूपन पर 200 ग्राम पका हुआ चावल, 50 ग्राम दाल एवं 50 ग्राम सब्जी तथा 10 ग्राम आचार अथवा खिचड़ी (200 ग्राम चावल, 50 ग्राम दाल, 50 ग्राम सब्जी) एवं 10 ग्राम आचार अथवा 200 ग्राम जीरा चावल, 50 ग्राम सब्जी, 50 ग्राम फ्राई दाल एवं 10 ग्राम आचार देय होगा।

2. प्रति कर्मकार रूपये 5/- के मान से शुल्क काउंटर पर जमा कर, कूपन प्राप्त किया जावेगा। कूपन को भोजन काउंटर पर जमा करने पर भोजन देय होगा।

(य) योजना का संचालन/पर्यवेक्षण :-

1. इस योजना का संचालन श्रम विभाग द्वारा अधिकृत संस्थान द्वारा किया जावेगा एवं जिला श्रम कार्यालय का यह दायित्व होगा, कि उनके जिले में चल रहे **"पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रम अन्न सहायता योजना"** यूनिट में हितग्राहियों की निगरानी करें।

2. **भोजन की गुणवत्ता :-** भारत शासन द्वारा अधिकृत संस्थान, श्रम विभाग अथवा छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा ही भोजन की गुणवत्ता का परीक्षण किया जावेगा।

(ड) विसंगति का निराकरण :-

योजना में यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, तो उस स्थिति में सचिव छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल का निर्णय अंतिम माना जावेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(तीरथ प्रसाद लड़िया)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

पृ0क्र0 एफ 3-1/2017/19 **नया रायपुर, दिनांक 13.1.18**

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय श्रम मंत्री जी, छ.ग. शासन एवं पदेन अध्यक्ष, छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल, नया रायपुर (छ.ग.)।
2. विशेष सचिव, छ.ग. शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर (छ.ग.)।
3. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग)।
4. नोडल अधिकारी, छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल, नया रायपुर (छ.ग.)।
5. कलेक्टर, जिला - .... (छ.ग.)।
6. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी, जिला-.................................(छ.ग.)।
7. उपसंचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

13/1/2018

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग